

43-110/2005-एलडीटी(पी)VI

भारतसरकार
कृषिमंत्रालय
पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग
पोल्ट्री यूनिट

कृषिभवन, नई दिल्ली
दिनांक: 04.04.2019

विषय :: सूचनाका अधिकार अधिनियम 2005, केतहत जानकारी

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी उपर्युक्त विषय के संदर्भ [पंजीकरण DOAHD/R/2019/00046] पशुपालन विभाग दिनांकित 13.03.2019 में निम्न लिखित सूचना देना चाहेंगे :

2. जहां तक पशुपालन और दुग्ध विभाग का कुक्कुट इकाई से संबंध है यह कहा जा सकता है कि 2014-15 से राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) को लागू कर रहा है। एनएलएम के तहत मुर्गी पालन की परियोजनाएं हैं। यह सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है।
3. 'उद्यमिता विकास और रोजगार निर्माण योजना' के घटक के तहत, विशेष रूप से पोल्ट्री वेंचर कैपिटल फंड, में कई पोल्ट्री खेती और संबद्ध गतिविधियों के लिए प्रावधान है, जिसमें किसानों को बैंक-एंडेड कैपिटल सब्सिडी प्रदान की जाती है। एक अन्य घटक, विशेष रूप से आर बी पी डी, मुर्गी पालन के लिए बीपीएल परिवारों को समर्थन और प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान करता है जो लाभार्थियों के लिए पूरक आय और परिवार पोषण प्रदान करने में मदद करता है। इसी तरह, इनोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट (IPPP) भी चयनित राज्यों में पायलट आधार पर लागू किया जाता है। उपर्युक्त सभी योजनाओं में व्यक्तिगत रूप से सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। इस सूचना की विस्तृत जानकारी के लिये राज्य सरकार के पशुपालन विभाग, संपर्क करें। इसके अलावा राज्य सरकार विभिन्न कुक्कुट विकास योजनाओं को भी लागू कर रही है, इसलिए जानकारी राज्य सरकार से प्राप्त की जा सकती है।
4. पात्रता मानदंड और सब्सिडी शेयर दिशानिर्देशों में दिए गए हैं। एनएलएम के विस्तृत दिशानिर्देश विभाग की वेबसाइट www.dadf.gov.in पर उपलब्ध हैं।
5. अपीलिय प्राधिकारी का नाम डॉ. एस. के. दत्ता, उपायुक्त, (पी) कमरा No. 334 A कृषि भवन, नई दिल्ली - 110001 Phone: 011-23389206 है।

(डॉ. एस. पी. साहू)

जन सूचना अधिकारी (पोल्ट्री यूनिट)
Ph: 011-23381608

Copy to:-

1. SO(RTI), Department of Animal Husbandry & Dairying Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, Krishi Bhawan.
2. System Analyst, NIC, DADF with kind request to upload this reply on Department's Website along with the enclosed application.